(1) 246

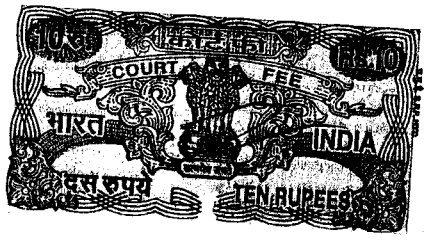

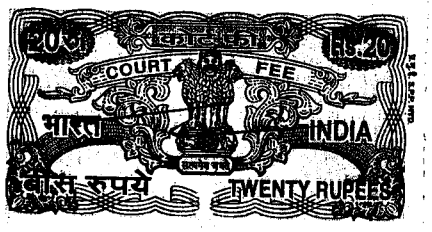

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक R-548-I-17 /2017 जिला–टीकमगढ़

1– चिन्तामन तिवारी पुत्र श्री रामनाथ तिवारी

2– अजय कुमार तिवारी पुत्र श्री चिन्तामन तिवारी

निवासी–ओरछा तहसील ओरछा जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़

...... अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 06.2.17 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 118/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, तहसीलदार ओरछा के प्रतिवेदन क्रमांक 117/रि./तह/ओरछा/12 दिनांक 13.03.2012 के अनुसार ओरछा स्थित भूमि खसरा नं. 455/15/1 रकवा 9.142 है0 शासकीय नजूल भूमि वर्ष 1998 में अजय कुमार पुत्र चिन्तामन निवासी ओरछा एवं चिन्तामन पुत्र रामनाथ, मिथला पत्नी चिन्तामन निवासीगण ओरछा को 25×40 वर्गमीटर का रहवासी पट्टा प्रदान किया गया था। परन्तु मोक पर 65×53 वर्गफुट पर निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें गेस्टहाउस बनाकर किया जा रहा है। तथा अजय कुमार को 25×40 वर्गफुट का पट्टा रहवासी दिया गया था। परन्तु उक्त स्थान पर 65×50 वर्गफुट पर निर्माण है जिसमे विजय भण्डारी शेष भाग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 548/एक/2017 जिला–टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-2-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 118/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसीलदार ओरछा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया कि आवेदकगण को ओरछा में स्थित भूमि सर्वे क्रमाक 455/15/1 क्षेत्रफल 9.142 है0 भूमि में से 25×40 वर्गफुट भू–भाग का पट्टा राजीव गांधी आश्रय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998 में चिन्तामन तनय रामनाथ को एवं 25×40 वर्गफुट भू–भाग का पट्टा अजय कुमार पुत्र चिन्तामन को रहवासी पट्टा दिये गये थे। किन्तु उपरोक्त भूमि के शेष भू भाग पर विजय भण्डारी द्वारा पक्का गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा है। जो पट्टा की शर्त क्रमांक 02 का उल्लघंन है, अतः पट्टा निरस्त किया जाये। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया एवं पट्टा विधिवत् होना बताया गया न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 से आवेदकगण के हित में जारी पट्टा निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह	

निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.04.2012 की कोई जानकारी नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पटवारी द्वारा दी गयी जानकारी दिनांक 23.12.2016 के आधार पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल दिनांक 19.01.2017 को प्राप्त हुयी तब प्रकरण में आक्षेपित आदेश दिनांक 26.04.2012 की वास्तविक जानकारी हुयी और वास्तविक जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि में यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। जो सद्भाविक होने से सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाता है।

अभिभाषक द्वारा तर्को में यह भी बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण की पात्रता की विधिवत् जॉच कर भूमि का पट्टा आवास हेतु जारी किये गये थे। तब से उनके द्वारा उक्त भूमि पर आवास बनाकर निवास किया जा रहा है तथा उनके द्वारा पट्टे की किसी भी शर्त का कभी कोई उल्लघंन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक की ओर से उपस्थित शासकीय सूची अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है, कि कलेक्टर जिला टीकमगढ़ का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारो का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के उपबंधो तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार दिनांक 09.07.1998 को जारी किये गये थे। जिसके अनुसार आवेदक द्वारा भूमि पर आवास बनाकर निवास किया जा रहा है, उसके द्वारा पट्टे की किसी भी शर्त का कभी कोई उल्लघंन नहीं किया है, और न हीं भूमि पर पक्के गेस्ट हाउस का संचालन किया है। इस संबंध में अपना विधिवत् जबाव कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। किन्तु न्यायालय द्वारा उपरोक्त जबाव पर विधिवत् विचार किये बिना तथा अधीनस्थ प्राधिकारियो के एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है, एक पक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्रह्य योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में जो आदेश कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित किया गया है, विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 118/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक क्रमांक 1 चिन्तामन तिवारी पुत्र रामनाथ तिवारी के हित में 25×40 वर्गफुट भू–भाग का पट्टा एवं आवेदक क्रमांक 2 अजय कुमार पुत्र चिन्तामन तिवारी के हित में 25×40 वर्गफुट भू–भाग का पट्टा आदेश दिनांक 09.07.1998 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य